सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया

पीठासीन अधिकारी :– रमेश देव (आर.ए.एस.)
प्रकरण संख्या :– 274/2023
वाद पत्र अं0 धारा 88/53 आर.टी.ए.

1. प्रदीप कुमार पुत्र श्री रामेश्वर लाल
2. प्रेमकुमार पुत्र रामेश्वर लाल
3. राकेश कुमार पुत्र रामेश्वर लाल

जाति ब्राहम्ण निवासी नगराना तहसील संगरिया जिला हनु0

–वादीगण

बनाम्

1. रामेश्वरलाल पुत्र गणेशाराम
2. गायत्री पुत्री रामेश्वर लाल
3. कमलेश पुत्री रामेश्वर लाल
4. इन्द्रा पुत्री रामेश्वर लाल
5. चन्द्रप्रभा पुत्री रामेश्वर लाल

जाति ब्राहम्ण निवासी नगराना तहसील संगरिया जिला हनु0

6. तहसीलदार(राजस्व) संगरिया

–प्रतिवादीगण

उपस्थित :–1. श्री सुनील कुमार टांडी –वकील वादीगण
2. श्री प्रदीप जाखड –वकील प्रति 1 ता 5

निर्णय

दिनांक :–07/07/2023

वादीगण प्रदीप कुमार वगैरा ने प्रतिवादीगण के विरूद्ध यह राजस्व वाद बाबत् खाता तक्सीम व घोषणा के तहत दिनांक 12–06–2023 को इस न्यायालय में पेश किया कि वादीगण व प्रतिवादीगण का निवास स्थान का पंजीकृत पता सिविल प्रकिया के व्यापक प्रावधानो के अनुसार वही है जो वाद शीर्षक मे अंकित है। कि वादीगण व प्रतिवादी स 1 ता 5 आपस मे संयुक्त परिवार के सदस्य है प्रतिवादी स 1 वादीगण व प्रतिवादी स 2 ता 5 के पिता है प्रति स 2 ता 5 वादीगण की संगी बहिन है प्रतिवादी स 1 वादीगण व प्रतिवादी स 2 ता 5 के पिता है प्रति स 2 ता 5 वादीगण की सगी बहिन है प्रतिवादी स 1 के नाम से तहसील संगरिया के चक न 6 एन.जी.आर कि जमाबन्दी सम्वत 2072–75 के खाता स 152/125 मे 0.678 है कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है जिनकी जमाबन्दी संलग्न वाद पत्र है यह कि वादी व प्रति स 1 ता 5 हिन्दु विधि से शसित परिवार है कि वाद पत्र की चरण स 2 मे वर्णित कृषि भूमि वादीगण व प्रतिवादी स 1 ता 5 के मध्य घरू बंटारानामा आपसी सहमति व रिश्तेदारो ने करवा दिया है उक्त बंटवारानामा के रोज से ही वादीगण व प्रतिवादीगण बंटवारानामा मे प्राप्त कृषि भूमि पर काबिज होकर बिना किसी बाधा के फसल काश्त करते आ रहे है कब्जा बाबत आपस मे कोई विवाद नही है प्रतिवादी स 1 ता 5 का उक्त कृषि भूमि मे 5/8 हिस्सा बनता है प्रति स 1 ता 5 का उक्त कृषि भूमि मे जो भी विरास्तन हक व हिस्सा बनता उस को अपने पास नही रखना चाहती है इस लिए प्रति स 1 ता 5 अपने विरास्तन हक व हिस्सा का मोखिक रूप से हक त्याग वादीगण के पक्ष मे ब.हि.ब कर दिया है उक्त कृषि भूमि मे इस प्रकार वादीगण को घरू बंटवारा मे निम्नलिखित कृषि भूमि प्राप्त हूई है

वादी स 1 प्रदीप कुमार के हक व हिस्सा मे कृषि भूमि
चक न 6 एन.जी.आर खाता स 152/125

प.न	मु.न	कि.न
164/220	28	24/4/0.033है ,25/0.253है

कुल–0.286है

वादी 2 प्रेमकुमार के हक व हिस्सा मे कृषि भूमि

चक न 6 एन.जी.आर खाता स 152/125

प.न	मु.न	कि.न
164/221	40	6/1/0.057है पश्चिम दिशा कि.न 7 से चिपता 7/1/0.025है ,7/2/0.114है

कुल–0.196है

वादी स 3 राकेश कुमार के हक व हिस्सा मे कृषि भूमि
चक न 6 एन.जी.आर खाता स 152/125

प.न	मु.न	कि.न
164/221	40	6/1/0.171है पश्चिम दिशा मे कि.न 7 से चिपता 6/2/0.025है गे.मु.

कुल–0.171है नहरी 0.025है गे.मु.रा 0.196 है गे.मु

कि वादीगण व प्रतिवादीगण को उक्त कृषि भूमि मे जन्मजात विरास्तन हक व हिस्सा बनता है उक्त कृषि भूमि वादीगण व प्रति स 2 ता 5 के दादा व प्रतिवादी स 1 पिता गणेशाराम से विरास्तन मे प्राप्त हुई है जिसका वादीगण व प्रतिवादीगण ने आपस मे घरू बंटवारानामा कर लिया है उक्त बंटवारानामा के अनुसार ही वादी वाद पत्र की चरण स 04 मे वर्णित कृषि भूमि पर काबिज होकर बिना किसी बाधा के काश्त करते आ रहे है परन्तु उक्त कृषि भूमि प्रगतिवादी स 1 के नाम होने के कारण वादीगण के हक व हकुक पर बुरा प्रभाव पड रहा है तथा सदैव झगडा होने का अन्देशा बना रहता है इसी कारण वादीगण उक्त कृषि भूमि का राजस्व रिकार्ड मे अपने नाम की घोषण करवा कर अपना खाता तकसीम करवाना चाहते है। कि वादीगण को उक्त कृषि भूमि अपने दादा गणेशाराम से विरास्तन मे प्राप्त हुई थी जिसमे वादीगण का जन्मजात विरास्तन हक व हिस्सा बनता है तथा वादीगण एव प्रतिवादीगण के मध्य घरू बंटवारानामा के हो चुका है व उसी के मुताबिक वादीगण काबिज होकर बिना किसी बाघा के फसल काश्त करते आ रहे है उक्त कृषि भूमि प्रतिवादी स 1 के नाम होने के कारण वादीगण को भारी परेशानीयो का सामना करना पड रहा है इसलिए वादीगण अपने नाम की घोषणा करवाने व अपना खाता तकसीम करवाने के एक मुस्त हक व दावेदार है कि वादीगण द्वारा प्रतिवादीगण से उन्हे वाद पत्र की चरण स 4 मे वर्णित तथ्य अनुसार कृषि भूमि का खातेदार काश्तकार मानकर अपना खाता अलग करवाने का निवेदन किया तो प्रतिवादीगण पहले तो टाल मटौल करते रहे परन्तु उन्होने ऐसा करने से स्पष्ट इनकार कर दिया बस यही वाद कारण है कि वादीगण को उक्त कृषि भूमि का घरू बंटवारानामा व कब्जा काश्त के मुताबिक वादी को खातेदार काश्तकार मानकर अपना खाता अलग नही किया गया तो वादीगण को कभी भी पुरा न होने वाला नुकसान होगा जिसकी क्षतिपूर्ति धन के रूप नही आंकी जा सकती है प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का सन्तुलन वादीगण के पक्ष मे है। कि प्रति स 6 को लेण्ड हॉलडर होने के कारण पक्षकार के रूप मे संयोजित किया गया है उनसे सीधे रूप से कोई अनुतोष नही चाहा गया है कि प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय के श्रेत्राधिकार व श्रवणाधिकार का है जो उचित न्यायशुल्क पर प्रस्तुत है लिहाजा वाद वादीगण पेश कर अर्ज है कि वादीगण निम्न प्रकार से डिग्री फरमाया जावे–यह है कि इस आशय की घोषणा फरमाई जावे कि वादीगण को वाद पत्र की चरण स 4 के अनुसार वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर उसी के अनुसार खाता तकसीम किया जाकर वादीगण के पिता प्रतिवादी स 1 रामेश्वरलाल का नाम कलमजन किया जावे।

उक्त तथ्यों के आधार पर वादपत्र पेश होने पर सीगेदार की रिपोर्ट के बाद दावा दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। वादीगण व प्रतिवादी सं. 1 ता 5 ने जरिये अधिवक्ता राजीनामा प्रस्तुत किया जो तस्दीक किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। प्रतिवादी सं. 6 तहसीलदार राजस्व संगरिया का जवाब पेश हुआ जो शामिल पत्रावली किया गया।

बहस वकील उभयपक्ष सुनी गई। वकील वादीगण ने वादपत्र में हुए राजीनामा के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि मुताबिक राजीनामा वादीगण का वाद पत्र डिक्री किया जावे। वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 का आराजी को लेकर आपस में राजीनामा हो जाने तथा वाद में कोई विरोधाभास नहीं होने कारण वाद पत्र मुताबिक राजीनामा डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया। वकील प्रतिवादीगण ने मुताबिक राजीनाम डिक्री किये जाने हेतु सहमती जताई।

दस्तावेजों का गहराई से अध्ययन किया गया। बहस अधिवक्ता पर मनन किया गया। वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 आराजी के सह–काश्तकार है। वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 ने हाजिर आकर वादग्रस्त आराजी बाबत अपना राजीनामा पेश किया है जिससे वाद पत्र के तथ्यों की पुष्टि हो रही है। पक्षकारान के मध्य कोई विवाद नहीं है। इसलिए प्रकरण में तनकीयात कायम किये जाने की आवश्यकता नहीं है। वादी के वाद का प्रतिवादीगण ने कोई विरोध नहीं किया गया। प्रकरण में राजीनामा पेश हो चुका है। परिणाम स्वरूप वाद वादीगण मुताबिक राजीनामा अनुसार डिक्री किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः वाद वादीगण डिक्री किये जाने योग्य है।

–:: क्रियात्मक आदेश ::–

अतः वाद वादीगण उक्त राजीनामा के आधार पर मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है कि:–मुताबिक राजीनामा वादीगण को वाद पत्र की चरण स 4 के अनुसार वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर उसी के अनुसार खाता तकसीम किया जाकर वादीगण के पिता प्रतिवादी स 1 रामेश्वरलाल का नाम कलमजन किया जाता है।

पर्चा डिक्री अलग से जारी होकर पत्रावली फैसला शुमार नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर हो खर्चा पक्षकारान अपना–अपना अलग वहन करेगे। राजीनामा निर्णय का भाग रहेगा।

निर्णय आज दिनांक 7.7.2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रमेश देव)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी संगरिया

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

डिक्री बमुकदमें ईब्तदाई
(अ.आदेश 20 नियम 6–7 व्या.प्रक्रिया संहिता)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया

पीठासीन अधिकारी :– रमेश देव (आर.ए.एस.)
प्रकरण संख्या :– 274/2023

1. प्रदीप कुमार पुत्र श्री रामेश्वर लाल
2. प्रेमकुमार पुत्र रामेश्वर लाल
3. राकेश कुमार पुत्र रामेश्वर लाल

जाति ब्राहम्ण निवासी नगराना तहसील संगरिया जिला हनु0

–वादीगण

बनाम्

1. रामेश्वरलाल पुत्र गणेशाराम
2. गायत्री पुत्री रामेश्वर लाल
3. कमलेश पुत्री रामेश्वर लाल
4. इन्द्रा पुत्री रामेश्वर लाल
5. चन्द्रप्रभा पुत्री रामेश्वर लाल

जाति ब्राहम्ण निवासी नगराना तहसील संगरिया जिला हनु0

6. तहसीलदार(राजस्व) संगरिया

–प्रतिवादीगण

दिनांक :– 07/07/2023

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिय के समक्ष वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे बहाजरी श्री सुनील टांडी वकील वादीगण मिन जामिन मुदई व श्री प्रदीप जाखड वकील प्रतिवादी सं. 1 ता 5 एव तहसीलदार राजस्व संगरिया मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है व यह डिक्री दी जाती है कि मुताबिक राजीनामा वादीगण को वाद पत्र की चरण स 4 के अनुसार वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर उसी के अनुसार खाता तकसीम किया जाकर वादीगण के पिता प्रतिवादी स 1 रामेश्वरलाल का नाम कलमजन किया जाता है। वाद पत्र की चरण स 4 निम्नानुसार है

वादी स 1 प्रदीप कुमार के हक व हिस्सा मे कृषि भूमि
चक न 6 एन.जी.आर खाता स 152/125

प.न	मु.न	कि.न
164/220	28	24/4/0.033है ,25/0.253है

कुल–0.286है

वादी 2 प्रेमकुमार के हक व हिस्सा मे कृषि भूमि
चक न 6 एन.जी.आर खाता स 152/125

प.न	मु.न	कि.न
164/221	40	6/1/0.057है पश्चिम दिशा कि.न 7 से चिपता 7/1/0.025है ,7/2/0.114है कुल–0.196है

वादी स 3 राकेश कुमार के हक व हिस्सा मे कृषि भूमि
चक न 6 एन.जी.आर खाता स 152/125

प.न	मु.न	कि.न
164/221	40	6/1/0.171है पश्चिम दिशा मे कि.न 7 से चिपता 6/2/0.025है गे.मु.

कुल–0.171है नहरी 0.025है गे.मु.रा 0.196 है गे.मु

राजीनामा डिक्री का भाग रहेगा। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेगे

नोटः– रकबा रहनमुक्त होने के पश्चात् डिक्री का अमल दरामद होगा।

निज....X....नल.......X.......मुब्लिक.....X....निल.........X.........बाबत.....X....निल.....X.....खर्चा मुकदमें के मय शुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीखा वसूलयाबी तक .....X....अदा करें। बसब्त मेरे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक....07.../.....07.../2023 जारी किया गया।

(हस्ताक्षर) 7/7/23
(रमेश देव)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी संगरिया

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official